		में जारी हुए
27/3/18	पत्रावली पेश हुई वकील अनुपस्थित उपस्थित, अनु. पत्रावलियों की अधिकर्ता/अन्य कार्यों में व्यस्तता के कारण आज इस प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही नहीं हो सकी है। अतः पत्रावली पूर्ववत दिनांक 4/4/18 को पेश हो।	
4/4/18	पत्रावली पेश हुई वकील अनुपस्थित उपस्थित, अनु. पत्रावलियों की अधिकर्ता/अन्य कार्यों में व्यस्तता के कारण आज इस प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही नहीं हो सकी है। अतः पत्रावली पूर्ववत दिनांक 25/4/18 को पेश हो। प्रति क्रम 1, 2 द्वारा प्रार्थना पत्र वास्ते एकपक्षीय कार्यवाही निरस्त किये जाने पेश किया। शा. पत्र. किया गया। नकल प्रा. पत्र वकील को दिलावें।	
25/4/18.	पत्रा. पेश हुई। वकील प्रार्थी ~~[illegible]~~ उप. / पत्रा. वास्ते जवाब प्रा. पत्र दिनांक 8/5/18 को पेश हो।	
8/5/18	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित प्रकरण के निर्णय हेतु [illegible] 2018 के अन्तर्गत राजस्व लोक अदालत किया जाता है। पक्षकारान [illegible] उपस्थिति हेतु नोटिस जारी करें। पत्रावली दिनांक 25/5/18 को कैम्प में पेश हो।	
25/5/18	पत्रावली राजस्व लोक अदालत के कैम्प मानपुरगांव में पेश हुई। शिविर में वादी पक्षकार उप. हुये। हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का आद्योपान्त अवलोकन - अध्ययन किया जिससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि वादी क्र. 4, प्रति. क्र. 2 की पत्नी है तथा वादी क्र. 1 लगायत 3 प्रति. क्र. 2 की सन्तान है। नियमानुसार सन्तान का अपने पिता की सम्पत्ति में सहभागिता होता है। चूंकि प्रति. क्र. 2 द्वारा अपनी पत्नी व बच्चों को छोड़ रखा है, जिससे वादी पक्षकारान में यह आशंका व्याप्त हो गई है कि कहीं प्रति. क्र. 2 अपने हिस्से की आराजी को खुर्द बुर्द न	डोंगली

Case no. 14/17 आकांक्षा वगै० बनाम रामलाल वगै०

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	कर दें। प्रकरण के कथनों पर मनन करने पर स्पष्ट होता है कि ~~प्रथम~~ प्रथम दृष्टया होने तथा सुविधा का सन्तुलन व अपूरणीय क्षति का बिन्दु वादीगण के पक्ष में है। अतः प्रा० पत्र प्रार्थी स्वीकार कर वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरुद्ध ~~[illegible]~~ ताफैसला वाद, इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि प्रतिवादीगण ताफैसला वाद ग्राम रामराजपुरा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा के खसरा नं. 796, 1070, व 1077 रकबा 5.61 हैक्टर के मौके व रिकार्ड की स्थिति यथावत बनाये रखे तथा खुर्द बुर्द करने का प्रयास न तो स्वयं करे और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नक्शा से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। — [signature] 25/5/18	